न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

राम विलास पासवान

वनाम

अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी

वाद संख्या–31/2013–14

वाद का प्रकार–विविध

आदेश

15.11.2013 प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत वाद में वर्णित भूमि मौजा तिलकेश्वर थाना कु0 स्थान थाना नं0 373 अंचल कु0 स्थान के खाता पु0 400 खेसरा 1581 रकवा 3 एकड 57 डि0 यानि 4 बिघा 1 कट्ठा 16 धुर किस्म परती कदीम है। व खेसरा पु0 1582 रकवा 1 एकड़ 52 डि0 यानि 1 बीघा 14 कट्ठा 17 धुर किस्म बाहा व खेसरा पु0 1583 रकवा 1 एकड़ 32 डि0 यानि 1 बीघा 10 कट्ठा 05 धुर किस्म परती कदीम है। मौजा तिलकेश्वर के खेसरा पु0 1581, 1582, 1582, 1583 जो पड़ती कदीम व बाहा जमीन है जो करीब 50 वर्षो से परती खाली जमीन है तथा समय के साथ सभी जमीन बाढ़ में मिट्टी से भर कर ऊचा हो गया है जो बसने लायक जमीन है। उक्त जमीन गॉव तिलकेश्वर के मध्य बीच में स्थित है जिस जमीन को गरीब हरिजन के बीच बसने हेतु वितरीत करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उक्त जमीन के वितरण गरीब हरीजन के बीच करने हेतु अचंलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी को बहुत पुर्व वे पिछले वर्ष कई आवेदन दिया गया। जिसके संबंध में अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी को दिये पर उस पर कोई कारवाई नही हुई। भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल व समाहर्ता दरभंगा के पास इस संबंध में आवेदन दिया गया व मुख्य मंत्री बिहार जनता दरवार में आवेदन दिया गया कि मौजा तिलकेश्वर के खेसरा 1581, 1582 1583 जो किस्म परती कदीम बाहा है को गरीब हरिजन को बसने हेतु विरतीय किया गया। यह भूखण्ड सैकड़ो वर्षो से परती है जो काफी ऊँचा व बसने योग्य है तथा सरकारी भूमि है को सरकार के दिशा निदेशानुसार वितरीत किया जाय।

वहीं दुसरी तरफ अन्तःक्षेपक वादी का कहना है कि वाद पत्र में आवेदक राम विलास पासवान की ओर से वास्ते प्रश्नगत जमीन मौजा तिलकेश्वर थाना कु0 स्थान अंचल कु0 स्थान पुर्वी थाना नं0

373 अन्तर्गत खाता 400 पुराना खेसरा 1581 पु0 रकवा 3 एकड़ 57 डि0 यानि 1 बीघा 14 कट्ठा 17 धुर खेसरा 1583 पु0 रकवा 1 एकड़ 32 डि0 यानि 1 बीघा 10 कट्ठा 5 धुर जिस परती जमीन पर दावा देय किया है जो दावा आवेदक का झुठा एवं जालफरेबी है जिसका कोई आधार नही है एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योकि इस जमीन से संबंधी अन्तःक्षेपक आवेदक द्वारा पुराना खतियान पर केवाला निबंधित केवाला हाल खतियान राजस्व रसीद इत्यादि सारे कागजी प्रमाण से हुजुर को ज्ञात होगा। आवेदक ने वाद पत्र में झुठी बाते वर्णित किया है कि प्रश्नगत भूमि वाद की मिट्ठी से भराठ है तथा परती कदीमद, इस जमीन को महादलित लोगो में विवादित किया जाय भूमि प्रश्नगत जमीन रैयती है पुराना खतियान एवं हाल खतियान जमाबंदी दर केवाला एवं अपना निबंधित केवाला के अवलोकन से हुजूर को ज्ञात होगा। प्रश्नगत जमीन गैर मजरूआ खास सैरात से वंचित है जजमीन लघुसीकांत कृषक के पास है जो केताओं अन्तःक्षेपक लोग भिन्न भिन्न केवाला में उचित जरसीमन देकर खरीद कर शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। प्रश्नगत जमीन अन्तःक्षेपक आवेदक को बजरिये भिन्न भिन्न निबंधित केवाला से प्राप्त है जो केवाला खरीद शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। प्रश्नगत जमीन का विकेता कैलाश प्रसाद सिंह पिता बचकन प्रसाद सिंह के नाम से जमाबंदी नं0 1824 रकवा 3–11–9 (तीन बीघा ग्यारह कट्ठा नौ धुर) राजस्व रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है। प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खतियान कैलाश प्रसाद सिंह पिता बचकन प्रसाद सिंह के हाल खतियान में खाता दर्ज है। प्रश्नगत जमीन का भूस्वामी जगदीश प्रसाद सिंह पिता बाबु अन्नत प्रसाद सिंह को इन्होने अपने ही जीबनकाल में कुल रकवा पुराना खेसरा 1581, 1583 से केता कैलाश प्रसाद सिंह के पिता बेचकन प्रसाद सिंह के नाम केवाला पुराना कागजी खरीद किया। उस तिथि से केता को दखल कब्जा चला आ रहा है। पुनः कैलाश प्रसाद सिंह पिता बचकुन प्रसाद सिंह के प्रश्नगत जमीन का कुल जरसीमन लेकर प्रश्नगत पु0 खेसरा 1581, 1582, 1583 का कुल रकवा 13 केतागण खरीद किया है जो केता खरीदगी प्रश्नगत जमीन पर शांतिपुर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन को महादलित या अन्य लोग के बीच बॉटने का औचित्य नही है सभी केतागण गरीब भूमिहीन एवं कागजी व्यक्ति तथा अपना अपना अवासीय घर बनाने हेतु जमीन खरीद किया है।

प्रथम पक्ष एवं अन्तःक्षेपक वादी के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खेसरा 1581, 1582 एवं 1583 परती कदीम बाहा है जिसको गरीब हरिजन के बीच वितरण किया जाय। जबकि अन्तःक्षेपक वादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कई केवाला प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह वाद

भूमिहिनो के बीच भूमि वितरण से संबंधित है। अतः अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी को निर्देश दिया जाता है कि वाद में वर्णित तथ्य का अवलोकन कर यदि प्रश्नगत भूमि वितरण के योग्य है तो नियमानुसार आवश्यक कारवाई करें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

कार्यालय क्रमांक - 06 / दिनांक 21.1.14 द्वारा अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी को लिखा गया अनुपालन हेतु